

[भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-2, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

आयकर
शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, तारीख 12 जनवरी, 2016

सा.का.नि.21(अ)- भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की अधिसूचना संख्या 93/2015, दिनांक 16 दिसम्बर, 2015, जिसे सा.का.नि. 978 (अ), दिनांक 16 दिसम्बर, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड 3 उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के पृष्ठ 5, पंक्ति 3 में "अनधिक" शब्द के स्थान पर शब्द "अधिक" पढ़ें।

[अधिसूचना सं. 1/2016 (फा.सं.133/41/2015-टीपीएल)]

(आर. लक्ष्मी नारायणन)
अवर सचिव (टीपीएल)